न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
91/2012	20/09/2012	04.02.2026

गीता उर्फ गायत्री पुत्री स्व० कल्याण पत्नी गोपाल जी जाति धाकड ग्राम सोभागपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थिनी

बनाम

1. बनवारी आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. शम्भू दयाल आत्मज जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी बद्री लाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. श्रीमती बादाम पुत्री जगन्नाथ पत्नी धन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. श्रीमती कल्याणी बेवा रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. बिहारीलाल आत्मज रामनारायण जरिए कायम मुकाम वारिसान
   6/1 फोरमेन पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड निवासी सनमानपुरा
   6/2 सियाराम पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड निवासी सनमानपुरा
   6/3 संतोष पुत्री बिहारीलाल पत्नि जाति धाकड नि0 बडौदा तह0 बडौदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
   6/4 चतरी बाई बैवा बिहारीलाल जाति धाकड नि0 सनमानपुरा तह0 पीपल्दा
7. धन्नालाल आत्मज रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
8. श्रीमती लोडी पुत्री रामनारायण पत्नी बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
9. भैरूलाल आत्मज मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सनमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
10. श्रीमती रामप्यारी पत्नी रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम आडा गेला तहसील पीपल्दा जिला कोटा
11. कालू आत्मज शम्भू दयाल जाति धाकड निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
12. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा इटावा जिला कोटा
13. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा
14. केसर पत्नि स्व0 जगन्नाथ जाति धाकड नि0 बोरदा तह0 पीपल्दा।
15. शांति बेवा राधाकिशन जाति धाकड नि0 बोरदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।
अप्रार्थी कम 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।
अप्रार्थी कम 1, 2, 11 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री राधेश्याम नामा एड0।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
संशोधित निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा दीगोद में खाता नं0 112 खसरा नम्बर 319 की 2.54 हेक्टर खसरा नम्बर 430 की 6.60 हेक्टर कुल दो किता की 9.14 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 52 सलंग्न है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीनी के पिता कल्याण जी का 1/5 हिस्सा था तथा प्रतिपक्षी नं 1 ता 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिपक्षीनी नं0 6 का 1/5 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 7 ता 10 का 1/5 हिस्सा व खातेदार ओंकार का 1/5 हिस्सा दर्ज था। प्रार्थीनी कल्याण जी की पुत्री व एक मात्र वारिस है। प्रार्थीनी के पिता कल्याण जी ने अपने जीवन काल में रामनारायण के पुत्र बिहारी लाल प्रतिपक्षी नं0 6 को कभी भी गोद नहीं लिया और न गोद रखा और न वारिस बनाया। प्रतिपक्षी नं0 6 कल्याण जी का गोद पुत्र नहीं है। किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिपक्षी नं0 6 ने प्रार्थीनी के पिता कल्याण जी की मृत्यु के बाद उनके 1/5 हिस्सों की भूमि को अपने आपको कल्याण जी का गोदपुत्र बताते हुये प्रनिपक्षी नं0 15 के कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने नाम दर्ज करवाली। जो गलत है। प्रतिपक्षी नं० 6 वास्तव में राम नारायण जी का पुत्र है तथा रामनारायण जी की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी नं० 6 का नाम उनके वारिसान के साथ दर्ज है। इस प्रकार प्रतिपक्षी नं0 6 ने अपने प्राकृतिक पिता रामनारायण के हिस्से की भूमि में भी भूमि प्राप्त कर रखी है। खातेदार ओंकार ने खसरा नम्बर 430 की 6.60 हेक्टर भूमि प्रतिपक्षीनी नं0 12 को 11/65 हिस्से की बेचान करदी इस कारण इसी भूमि का खाता अलग हो गया और प्रतिपक्षी नं0 12 का नाम 11/65 पर दर्ज हो गया व ओंकार के हिस्से मे 2/65 हिस्से की भूमि शेष रही। ओंकार जी की शेष भूमि प्रतिवादी नं0 13 ने खरीद करली इस कारण उसे पक्षकार पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 319 की 2–54 हेक्टर भूमि खाता नं0 102 पर पूर्व रिकार्ड के अनुसार ही रही। इस प्रकार प्रार्थीनी के पिता कल्याण जी के दोनों खाते की दोनों खसरा नम्बरों पर प्रतिपक्षी नं0 6 ने नाम 1/5 हिस्से पर दर्ज करवा लिया है जो गलत है। प्रतिपक्षी नं0 6 को कल्याण जी के हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीनी अपने पिता कल्याण जी की जाइन्दा पुत्री व वारिस है तथा 1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। इस कारण उनकी 1/5 हिस्से की भूमि जो प्रतिपक्षी नं0 6 के नाम दर्ज है, की खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है तथा साथ ही साथ उक्त 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिपक्षी नं0 6 का नाम हटाया जाकर प्रार्थीनी का नाम दर्ज कराने व भूमि का विभाजन करा कर अपने 1/5 हिस्से की भूमि अपन अलग खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है। प्रार्थीनी ने अपने पिता की भूमि ग्राम नीमसरा तहसील पीपल्दा की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल दिनांक 13–8–2012 को निकलवायी तो प्रतिपक्षी नं० 6 द्वारा अपने नाम दर्ज करा लेने की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षी नं0 6 ता 9 को उक्त कल्याण जी के 1/5 हिस्से की भूमि पर से उसका नाम हटा कर प्रार्थीनी का नाम दर्ज कराने व विभाजन कराने को दिनांक 30–3–2012 को कहा तो प्रतिपक्षी नं० 6 ता 9 ने उक्त 1/5 हिस्से की भूमि प्रार्थीनी के नाम दर्ज कराने से व विभाजन कराने इन्कार कर दिया । बल्कि प्रतिपक्षी नं0 6 ता 9 ने कल्याण जी से प्राप्त 1/5 हिस्से की भूमि को बिना विभाजन कराये रहन बेचान करने व भारयुक्त करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 6 ता 9 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि को अथवा उसके किसी भाग को खुर्द बुर्द, रहन व बेचान तथा अन्तरण भारयुक्त कर दिया गया तो प्रार्थीनी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा अपने साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी व प्रार्थीनी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीनी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के खिलाफ ता फैसला दावा एक अस्थायी निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण ग्राम [illegible] तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नं0 319 रकबा 2.54 हैक्टर, खसरा नं0 430 रकबा 6.60 हैक्टर कुल 2 किता की 9.14 हैक्टर भूमि में से कल्याण जी के 1/5 हिस्से की भूमि को अथवा उसके किसी भाग को खुर्द बुर्द, रहन व बेचान तथा हस्तान्तरण आदि नहीं करे। कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीक्रम 6 की ओर से श्री रोहित तिवारी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीक्रम 6/1 ता 6/4 की ओर से श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी की ओर से श्री नन्दकिशोर पारेता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीक्रम 6/1 ता 6/4 जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया। अप्रार्थीक्रम 1, 2 व 11 की ओर से राधेश्याम नामा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी क्रम 3, 4, 5, 8, 10, 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो अग्रलिखित है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे के 1/5 हिस्से की भूमि के खातेदार कल्याण पुत्र सीताराम जाति धाकड निवासी बोरदा थे। कल्याणजी द्वारा उनके कोई पुत्र संतान नही होने के कारण रामनारायण जी के देहावसान के उपरान्त अप्रार्थी क्रम 6 बिहारीलाल को उनके बाल्यकाल मे ही दत्तक ग्रहण कर लिया गया था। प्रार्थी एवम् कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा भविष्य मे बिहारीलाल के हितो के विरूद्ध संभावित विवादो के उन्मूलन हेतु कल्याण जी द्वारा बिहारीलाल को स्वयं का दत्तक पुत्र स्वीकार करते हुये दिनांक 09 फरवरी 1983 को साक्षीगण के समक्ष बिहारीलाल के पक्ष मे इच्छा पत्र (वसीयत) लेखबद्ध करवाकर निष्पादित कर दिया गया। साथ ही कल्याण जी द्वारा दिनांक 09.02.1983 को तत्कालीन सब रजिस्ट्रार पीपल्दा को आवेदन भी लेखबद्ध करवाया गया कि उनके द्वारा गोदनामा की रजिस्ट्री बहक श्री बिहारीलाल के मौके पर मुकाम बोरदा ही तस्दीक कराना चाहता हूँ क्योंकि वृद्ध व बीमार हूँ अतः फीस मौका व फीस रजिस्ट्री जमा कराई जाकर मौके पर मुकाम बोरदा रजिस्ट्री तस्दीक की जाकर बाद तस्दीक असल दस्तावेज श्री बिहारीलाल मुतवन्ना खुद को वापस दी जावे। जिस पर कल्याण जी द्वारा स्वयं की अंगुठा निशानी भी की गई है। दुर्योग से विलेख दिनांक 09 फरवरी 1983 का पंजीयन नही हो सका। Deed dated 09] Feb 1983 recite the fact of adoption and will the property to the adopted son after the adoptive father's death- according to Rule 48 Rajasthan Regis&tration Rules] such document must be recorded and treated in every respect as will [wasiyatnama] Their registration is optional [section 18] clause(e)] कल्याण जी के देहावसान के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.09.1991 को अप्रार्थी संख्या 13 को विवादित भूमि मे कल्याणजी के खाते व हिस्से की भूमि बिहारीलाल जी के खाते दर्ज करने हेतु स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा स्वयं की अंगुठा निशानी भी की हुई है (जिससे प्रार्थी विबन्धित है।) उक्त प्रार्थना पत्र पर एवम् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 23.05.1992 से कल्याण जी के स्थान पर बिहारीलाल जी का नाम अंकित कर दिया गया तथा बिहारीलाल की मृत्यु दिनांक 19.11.2012 को जाने के उपरान्त नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 592 दिनांक 29.01.2013 से विहारीलाल के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों का भली–भाँति ज्ञान होने के बावजूद भी, वर्ष 1992 से वर्तमान तक प्रार्थी द्वारा विहारीलाल जी के अधिकारों का आक्षेपित नहीं किया जाकर विधितः मान्यता प्रदान की जा चुकी है। रामनारायणजी की मृत्यु विहारीलाल के बाल्यकाल में ही हो जाने के कारण रामनारायणजी के उत्तराधिकारी के रूप में बिहारीलाल का नाम राजस्व अभिलेख मे विरासतन 121 अंकित हुआ तथा कल्याणजी द्वारा बिहारीलाल जी को रामनारायण की मृत्यु के बाद दत्तक ग्रहण किया गया था। कल्याणजी के जीवनकाल से ही विहारीलालजी जीवनपर्यन्त एवम् बिहारीलालजी के देहावसान के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 वर्तमान मे भी कल्याण के हिस्से की भूमि पर काविज प्रतिज्ञ खातेदार कृषक के रूप में उपयोग उपभोग करते हुये चले आ रहे है। प्रार्थी का कल्याण जी के खाते व हिस्से की भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। विधितः कब्जे के अभाव मे घोषणा खातेदारी का अनुतोष अनुज्ञेय नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उपरवर्णनानुसार विहारीलाल जी, स्व. कल्याण जी के गोदपुत्र होने एवम् वसीयत दिनांक 09 फरवरी 1983 के आधार पर स्व. कल्याणजी के वसीयती उत्तराधिकारी होने से बिहारीलाल जी के देहावसान के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 स्व. बिहारीलाल के विधिक प्रतिनिधी होने से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मे खातेदारी की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। बिहारीलाल जी के देहावसान के उपरान्त वादी के मन में बदनियती आ जाने से प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 को विवादित भूमि से वंचित करने पर आमादा है। जिसका कि उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस हेतुक अप्रार्थी संख्या 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 के लिए आवश्यक हुआ कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करवाये कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधी, विवादित भूमि मे अप्रार्थी संख्या 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की बाधा एवम् व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रामित अथवा अन्तरित नही करे। तदर्थ काउन्टर प्रार्थना पत्र क्लेम श्रीमान की सेवा मे प्रस्तुत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं0 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 के पक्ष मे, विरूद्ध प्रार्थी इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करने की कृपा करे कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधी, विवादित भूमि में अप्रार्थी सं0 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवम् व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रामित अथवा अन्तरित नहीं करे।

प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि स्व. कल्याण जी की एक मात्र वारिस पुत्री प्रार्थिया है स्व० कल्याण जी ने अपने जीवनकाल मे स्व. रामनारायण जी के पुत्र स्व. बिहारीलाल को कभी भी गोद नही लिया स्वर्गीय बिहारीलाल का नाम प्राकृतिक पिता रामनारायण की भूमि मे दर्ज है। स्वर्गीय कल्याण के स्थान पर स्व. बिहारीलाल के नाम दर्ज करने का तहसीलदार पीपल्दा का आदेश नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 23/05/1992 न्यायालय श्रीमान द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा द्वारा दिनांक 13/06/2014 को निरस्त कर मृतक कल्याण के प्राकृतिक वारिसों की जाँच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया है जिसकी द्वितीय अपील स्वर्गीय बिहारीलाल के वारिसो अप्रार्थीगण 6/1, 6/2, 6/3. 6/4 द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा को की गई थी। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा दिनांक 23/07/2015 को निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पारित कर नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 23/05/1992 को अपास्त कर सक्षम सिविल न्यायालय से हक निर्धारण का निर्देश पारित किया है किन्तु अप्रार्थीगण 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 अपीलाण्टस ने उक्त आदेश की पालना नही की है। स्वर्गीय बिहारीलाल के पक्ष मे तस्दीक मूल नामान्तकरण निरस्त हो जाने के कारण स्वर्गीय बिहारीलाल के वारिसो के पक्ष मे खोला गया इन्तकाल शून्य व प्रभावहीन है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 को कोई भी अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी स्व0 कल्याण की प्राकृतिक पुत्री है तथा उसे पिता की मृत्यु उपरांत विरासतनः पैतृक सम्पत्ति मिलनी चाहिए थी परन्तु बिहारीलाल अप्रार्थी सं0 6 ने कल्याण का दत्तक पुत्र बनकर ख0नं0 319 रकबा 2.54है0 तथा ख0नं0 430 रकबा 6.60है0 कुल किता 2 कुल रकबा 9.14है0 के 1/5 हिस्से पर स्वयं का नाम अवैध तरीके से दर्ज करा लिया तथा प्रार्थी ही कल्याण की एक मात्र वारिस है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि अप्रार्थी कम 6 जिसकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है तथा विधिक वारिसान 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 के रूप में वाद व प्रा0पत्र में रिकॉर्ड पर है, कल्याण पुत्र सीताराम का दत्तक पुत्र था। कल्याण का कोई पुत्र वारिस नहीं था। 09.02.1983 को वसीयत भी कराई गई थी। राजस्थान पंजीकरण नियम के नियम 48 के तहत वसीयत का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। 01.04.1991 को कल्याण की मृत्यु हुई तथा 2012 में अप्रार्थी से 6 की भी मृत्यु हो चुकी है। धारा 92 साक्ष्य अधिनियम यहां लागू होता है क्योंकि दस्तावेज जिस पर वसीयत की है तीस वर्ष से अधिक पुराना है। विद्वान अधिवक्ता अन्य अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवादित भूमि के 1/5 हिस्से को लेकर विवाद है। न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अन्य पक्षकारों के हिस्से की भूमि पर भी स्टे नोट लगा होने से अप्रार्थी को अनावश्यक कठोरता का सामना करना पड रहा है जबकि वह केवल सहखातेदार जमाबंदी में दर्ज है।

उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजो का अवलोकन किया। मामला कल्याण के हिस्से के अंतरण से संबंधित है। न्यायालय द्वारा 01.08.2022 से ख0नं0 319 तथा 430 पर रिकॉर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो कि एक अंतरिम आदेश है। दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा ने निर्णय दिनांक 13.06.2014 द्वारा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा तस्दीक किए गए नामान्तरण संख्या 62 दिनांक 25.05.1992 को निरस्त कर दिया है। जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय कोटा संभाग को की गई जिसमें दिनांक 23.07.2015 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 13.06.2014 तथा तहसीलदार पीपल्दा के निर्णय दिनांक 23.05.1992 नामातरण सं0 62 को अपास्त कर पक्षकारान को हक हकूको के निर्धारण हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष पाने हेतु स्वतंत्र किया है। इस प्रकार वर्तमान में विद्यमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का लाभ वर्तमान खातेदारों को नहीं लेने दिया जा सकता। चूंकि नामान्तरण 23.05.1992 सं0 62 निरस्त व अपास्त किया जा चुका है तथा वादिनी प्रार्थी व अप्रार्थी/प्रतिवादी को उत्तराधिकार संबंधी निर्णय के लिए स्वतंत्र किया गया है, वर्तमान अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के खुर्द–बुर्द करने की प्रबल संभावना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में कल्याण का ''कोई पुत्र वारिस नहीं होना'' अंकित किया है तथा पुत्री वारिस होने का खंडन नहीं किया है। विशेष अपात्तियों की मद सं0 1 में यह कथन स्पष्ट रूप से लिखित हैं। इसलिए यदि अप्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो यदि प्रार्थी के पक्ष में निर्णय होता है और विवादित भूमि खुर्द–बुर्द की जाती है तो इससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जबकि अप्रार्थी को ऐसी कोई हानि या असुविधा संभावित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। न्यायालय द्वारा 01.08.2022 के सम्पूर्ण हिस्से पर सम्पूर्ण सह खातेदारों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी इससे अहितबद्ध खातेदारो के साम्पत्तिक अधिकारों के उपयोग में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः इसे परिवर्तन न्यायहित में आवश्यक हैं अप्रार्थी को ग्राम नीमसरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नं0 319 रकबा 2.54है0, ख0नं0 430 रकबा 6.60है0 कुल किता 2 कुल रकबा 9.14है0 भूमि में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि के 1/5 हिस्से पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित भूमि को रहन, बेचान, दान इत्यादि किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे। यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक लागू हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा